

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 23] नई दिल्ली, अक्टूबर 5—अक्टूबर 11, 2014, शनिवार/आश्विन 13—आश्विन 19, 1936
No. 23] NEW DELHI, OCTOBER 5—OCTOBER 11, 2014, SATURDAY/ASVINA 13—ASVINA 19, 1936

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक् संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications Issued by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर, 2014

आ.अ. 31--लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग तमिलनाडु राज्य क्षेत्र के प्रशासन के परामर्श से एतद्द्वारा, डॉ. संदीप सक्सेना आई.ए.एस. (1989), को उनके कार्यभार ग्रहण की तारीख से आगामी आदेशों तक के लिए तमिलनाडु राज्य क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है ।

2. डॉ. संदीप सक्सेना, आई.ए.एस., तमिलनाडु सरकार के अधीन सभी पदभार या किसी कार्य के पदभारों को तत्काल सौंप देंगे या धारण करना समाप्त कर देंगे, जो कि वे ऐसा पदभार ग्रहण करने से पहले धारण कर रहे थे ।

3. डॉ. संदीप सक्सेना, आई.ए.एस., मुख्य निर्वाचन अधिकारी, तमिलनाडु के रूप में कार्य करते हुए तमिलनाडु सरकार के अधीन किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे सिवाय इसके कि उनको राज्य सचिवालय में निर्वाचन विभाग के प्रभारी, सरकार का सचिव पदाभिहित किया जायेगा ।

[सं. 154/तमिलनाडु/2014-नि.यो.अ.]

आदेश से,
सुमित मुखर्जी, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, the 6th October, 2014

O. N. 31.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India, in consultation with the Government of Tamil Nadu, hereby nominates **Dr. Sandeep Saxena, IAS (1989)** as the Chief Electoral Officer for the State of Tamil Nadu with effect from the date he takes over charge and until further orders.

2. **Dr. Sandeep Saxena, IAS** shall cease to hold and hand over forthwith the charge of all or any charges of work under the Government of Tamil Nadu, which he may be holding before such assumption of office.

3. **Dr. Sandeep Saxena, IAS** while functioning as the Chief Electoral Officer, Tamil Nadu shall not hold any additional charge whatsoever under the Government of Tamil Nadu except that he should be designated Secretary to the Government in charge of Election Department in the State Secretariat.

[No. 154/TN/2014-EPS]

By Order,

SUMIT MUKHERJEE, Secy.